पं.क्र. (04/21/05/207665/19)

अन्तरा
शब्दशक्ति
प्रकाशन एवं बहुउद्देशीय संस्था
www.antrashabdshakti.com

शब्द
से संवेदना तक...
लेखन से
परिवर्तन तक...

हिन्दी
हमारी पहचान
हमारी शक्ति

‘समसामयिक प्रश्नों पर आपकी कलम’

(लेख प्रतियोगिता)

विचार...
चिंतन...
संवाद...
और
एक बेहतर
कल की ओर...

रचनाकार :-
पवन मिश्रा

आयोजक:-
अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन
वारासिवनी (म.प्र.)

पं.क्र. (04/21/05/207665/19)

अन्तरा शब्दशक्ति
प्रकाशन एवं बहुददेशीय संस्था
www.antrashabdshakti.com

कलम की शक्ति, समाज की दिशा

हिन्दी
हमारी पहचान
हमारी शक्ति

शब्द से संवेदन तक...
लेखन से परिवर्तन तक...

संपादक : डॉ. प्रीति समकित सुराना
तकनीकी संपादक : Webcoodee.com
मुख्य कार्यालय : 15 नेहरू चौक, वारासिवनी,
जिला बालाघाट (म.प्र.) 481331

Antrashabdshaktiprakashan

संपर्क : 9009423393
ईमेल : antrashabdshakti@gmail.com
वेबसाइट : www.antrashabdshakti.com

वैधानिक सूचना

पुस्तक में प्रकाशित सभी रचनाएँ संबंधित रचनाकारों की मौलिक अभिव्यक्तियाँ हैं। प्रत्येक रचना में व्यक्त विचार, कथ्य एवं अभिमत के लिए संबंधित रचनाकार स्वयं उतरदायी हैं। रचनाओं के चयन एवं प्रकाशन का उद्देश्य साहित्यिक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करना एवं हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करना हैं।

हिन्दी से ही है पहचान...

विचार...
संवाद...
समाज...
और एक बैहतर कल...

पं.क्र. (04/21/05/207665/19)
अन्तरा शब्दशक्ति
www.antrashabdshakti.com
प्रकाशन एवं बहुद्देशीय संस्था

लेख प्रतियोगिता

लेखक/लेखिका -पवन मिश्रा

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत-सपना नहीं,संकल्प से संभव

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत-सपना नहीं,संकल्प से संभव

“भारत माता की जय” कहना सरल है, पर भारत माता को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प निभाना कठिन। राष्ट्रगान के समय सीना गर्व से भर उठता है, तिरंगा देखते ही आँखों में चमक उतर आती है और स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए हृदय श्रद्धा से भर जाता है। किंतु उसी राष्ट्र की व्यवस्था में जब रिश्वत, भाई-भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, मिलावट, धोखाधड़ी और बेईमानी घर कर जाती है, तब हमारी देशभक्ति का दावा अधूरा प्रतीत होता है।

आज हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न है—क्या भ्रष्टाचार-मुक्त भारत केवल एक सुंदर सपना है, या दृढ़ संकल्प, ईमानदार आचरण और सामूहिक प्रयास से उसे साकार किया जा सकता है?

उत्तर स्पष्ट है—भ्रष्टाचार-मुक्त भारत सपना नहीं, संकल्प से संभव है। लेकिन यह संकल्प केवल भाषणों, नारों, पोस्टरों और समारोहों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे हमारे विचारों, व्यवहार, परिवारों, विद्यालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक जीवन में दिखाई देना चाहिए।

भ्रष्टाचार का अंत किसी एक कानून, किसी एक सरकार या किसी एक संस्था से नहीं होगा। इसके लिए शासन में पारदर्शिता, प्रशासन में जवाबदेही, न्याय में शीघ्रता, नागरिकों में जागरूकता और समाज में नैतिक चेतना—इन सभी का समन्वय आवश्यक है।

भ्रष्टाचार का अर्थ और स्वरूप----

‘भ्रष्टाचार’ शब्द ‘भ्रष्ट’ और ‘आचार’ से मिलकर बना है—अर्थात ऐसा आचरण जो नैतिकता, कर्तव्य, कानून और लोकहित की मर्यादाओं से विचलित हो। सामान्य अर्थ में भ्रष्टाचार वह स्थिति है, जब कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार, प्रभाव या जिम्मेदारी का निजी लाभ के लिए अनुचित उपयोग करता है।

रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा केवल रिश्वत तक सीमित नहीं है। सरकारी धन का दुरुपयोग, ठेकों में कमीशन और अनियमितता, योग्य व्यक्ति की जगह परिचित को लाभ पहुँचाना, परीक्षा या नियुक्ति में अनुचित साधनों का इस्तेमाल, कर चोरी, मिलावट, योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में हेरफेर, जानबूझकर काम रोकना, सुविधा शुल्क माँगना तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करना—ये सभी उसके अलग-अलग रूप हैं।

इसलिए भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है; यह नैतिक पतन, सामाजिक अन्याय और जनविश्वास के क्षरण का भी नाम है।

भ्रष्टाचार --- राष्ट्र की जड़ों में लगा दीमक

दीमक बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर-ही-भीतर लकड़ी को खोखला कर देती है। भ्रष्टाचार भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर से राष्ट्र विकास करता हुआ दिखाई देता है—सड़कें बनती हैं, भवन खड़े होते हैं, योजनाएँ घोषित होती हैं और बजट बढ़ते हैं, लेकिन यदि सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही अपना रास्ता बदल ले, तो विकास की चमक भीतर से खोखली हो जाती है।

भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पूँजी—'जनविश्वास' को कमजोर करता है। नागरिकों को विश्वास होना चाहिए कि शासन उनके हित में काम करेगा, कानून सबके लिए समान होगा और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग पारदर्शी ढंग से होगा। जब लोगों को लगने लगे कि बिना पैसे या पहुँच के उनका काम नहीं होगा, तब लोकतंत्र की आत्मा पर चोट पहुँचती है।

भ्रष्टाचार गरीब को और अधिक असुरक्षित बनाता है,योग्य व्यक्ति को अवसर से वंचित करता है,
शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, रोजगार और निवेश के अवसरों को नुकसान पहुँचाता है,कानून के प्रति सम्मान को कमजोर करता है, प्रशासन को जनसेवा से स्वार्थसेवा की ओर धकेलता है, सामाजिक असमानता और असंतोष को बढ़ाता है तथा राष्ट्र की संस्थाओं के प्रति विश्वास को कमजोर करता है।

भ्रष्टाचार का सबसे गहरा आघात अक्सर उस व्यक्ति पर पड़ता है, जिसके पास धन, पहचान या प्रभाव नहीं होता। गरीब किसान, वृद्ध पेंशनभोगी, विधवा, बेरोजगार युवा या सामान्य नागरिक—इनके लिए छोटी-सी रिश्वत भी बड़ी आर्थिक और मानसिक पीड़ा बन सकती है।

भ्रष्टाचार का मानवीय चेहरा--

कल्पना कीजिए—एक गरीब परिवार का बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। सरकारी अस्पताल में दवा उपलब्ध है, लेकिन कर्मचारी सुविधा के नाम पर कुछ पैसे माँगता है। परिवार अपनी जरूरत की कोई वस्तु बेचकर वह रकम जुटाता है। यह केवल रिश्वत नहीं, किसी की विवशता पर किया गया अन्याय है।

एक किसान को फसल का उचित मुआवजा मिलना है। कागजात पूरे हैं, लेकिन फाइल आगे बढ़ाने के लिए उससे पैसे माँगे जाते हैं। खेत में सूखा, बाजार में महँगाई और कार्यालय में भ्रष्टाचार—ये तीनों मिलकर उसके जीवन का संघर्ष और कठिन बना देते हैं।

एक प्रतिभाशाली छात्र दिन-रात मेहनत करता है। यदि परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक हो जाए या नियुक्ति में धन और सिफारिश हावी हो जाए, तो केवल एक विद्यार्थी का परिश्रम नहीं हारता, उसके साथ देश की प्रतिभा और अवसर की समानता भी चोटिल होती है। किसी को अनुचित लाभ मिलना अक्सर किसी दूसरे के वैध अधिकार का छिन जाना होता है।

भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण---

भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी और बहुआयामी हैं। इसके पीछे कई सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक और नैतिक कारण काम करते हैं।

नैतिक मूल्यों का ह्रास ----

जब सफलता का पैमाना केवल धन, पद और दिखावा बन जाए, तब साधन की पवित्रता पीछे छूट जाती है। समाज पूछता है—“कितना कमाया--?”, लेकिन यह प्रश्न कमजोर पड़ जाता है कि—“कैसे कमाया--?”

लालच और असंतोष :

आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। अधिक सुविधाओं और प्रतिष्ठा की होड़ व्यक्ति को अनुचित साधनों की ओर धकेल सकती है।

जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया :

जब किसी काम को अनावश्यक रूप से कठिन, धीमा और अस्पष्ट बना दिया जाता है, तो नागरिक शीघ्र समाधान के लिए अनुचित रास्ते अपनाने को विवश हो सकता है। प्रशासनिक जटिलता भ्रष्टाचार के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है।

पारदर्शिता का अभाव :

जहाँ निर्णयों, निविदाओं, नियुक्तियों, खर्चों और लाभार्थियों की जानकारी पर्याप्त रूप से सार्वजनिक नहीं होती, वहाँ अनियमितता की संभावना बढ़ती है।

दंड का भय कम होना :

यदि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक कार्रवाई से बचा रहे और मामलों का निपटारा वर्षों तक लंबित रहे, तो दंड का निवारक प्रभाव कमजोर पड़ता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव :

कई परिस्थितियों में अधिकारी या कर्मचारी पर बाहरी दबाव, स्थानांतरण का भय अथवा अनुचित हस्तक्षेप निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

नागरिकों की सहनशीलता --

"थोड़ा पैसा दे दो, काम जल्दी हो जाएगा"—ऐसी मानसिकता भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति देती है। रिश्वत लेने वाला दोषी है, लेकिन जहाँ नागरिक सुविधा के लिए भ्रष्ट व्यवस्था को स्वीकार करने लगते हैं, वहाँ समस्या और गहरी हो जाती है।

सामाजिक चुप्पी --

जब लोग भ्रष्टाचार देखकर भी चुप रहते हैं, तो भ्रष्ट आचरण करने वालों का मनोबल बढ़ता है। मौन कई बार भ्रष्टाचार का अनजाना सहयोगी बन जाता है।

<u>क्या कानून पर्याप्त हैं-------?</u>

भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनेक कानून और संस्थागत व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा उसके 2018 के संशोधन ने भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों और अनुचित लाभ की अवधारणा को कानूनी ढाँचा प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज भी भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फिर भी प्रश्न बना रहता है—यदि कानून और संस्थाएँ मौजूद हैं, तो भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं हुआ?

उत्तर यह है कि कानून आवश्यक हैं, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं। कानून की प्रभावशीलता उसके निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। मजबूत कानून और कमजोर अनुपालन का परिणाम अक्सर अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पाता।

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के लिए आवश्यक उपाय

प्रशासन में पारदर्शिता

सरकारी योजनाओं, बजट, निविदाओं, नियुक्तियों और लाभार्थियों से संबंधित जानकारी यथासंभव सार्वजनिक और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ और उसका उपयोग कहाँ हुआ।

सेवाओं का समयबद्ध वितरण

सरकारी सेवाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित हो। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सके और अनावश्यक विलंब के लिए जवाबदेही तय हो।

डिजिटल व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-टेंडरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड भ्रष्टाचार की कई संभावनाओं को कम कर सकते हैं। जब अनावश्यक मध्यस्थता घटती है, तो रिश्वत की गुंजाइश भी कम हो सकती है।

लेकिन तकनीक को भी चमत्कारी समाधान नहीं माना जा सकता। डिजिटल व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब वह सरल, सुरक्षित, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध और सभी वर्गों के लिए सुलभ हो।

स्वतंत्र और सक्षम जाँच संस्थाएँ

भ्रष्टाचार की जाँच करने वाली संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन, पेशेवर क्षमता और संस्थागत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लंबी जाँच और विलंबित कार्रवाई से व्यवस्था में विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

शीघ्र न्याय

भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध न्याय आवश्यक है। दंड का उद्देश्य केवल दोषी को सजा देना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना भी है कि सार्वजनिक पद निजी लाभ का माध्यम नहीं है।

ईमानदार अधिकारियों का संरक्षण

जो अधिकारी और कर्मचारी नियमों के अनुरूप ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें अनावश्यक दबाव, प्रताड़ना और अनुचित हस्तक्षेप से संरक्षण मिलना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को यदि व्यवस्था में अकेला महसूस होने लगे, तो संस्थागत नैतिकता कमजोर पड़ सकती है।

शिकायतकर्ता की सुरक्षा

भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले नागरिक, कर्मचारी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रभावी शिकायत-निवारण और सुरक्षा तंत्र आवश्यक है। भयमुक्त वातावरण में ही लोग अनियमितताओं के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं।

राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में शुचिता

लोकतंत्र की गुणवत्ता सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता से भी जुड़ी है। राजनीतिक दलों और सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन मजबूत होना आवश्यक है। धनबल, प्रभाव और हितों के टकराव से जुड़े प्रश्नों पर स्पष्ट नियम और उनका निष्पक्ष अनुपालन लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत कर सकता है।

शिक्षा में नैतिकता

विद्यालय केवल परीक्षा और रोजगार की तैयारी के केंद्र नहीं होने चाहिए-- वे चरित्र और नागरिक चेतना के निर्माण के केंद्र भी होने चाहिए।

बच्चों को ईमानदारी, कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का व्यावहारिक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए।

विद्यालयों में भ्रष्टाचार-विरोधी शपथ, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएँ, ईमानदार व्यक्तित्वों पर चर्चा, सूचना के अधिकार की जानकारी, मॉक संसद, नैतिक दुविधाओं पर संवाद, “ईमानदारी की डायरी” और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

शिक्षक और विद्यालय की भूमिका

शिक्षक समाज का निर्माता होता है। वह केवल पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी देता है। यदि शिक्षक स्वयं समयपालन, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करे, तो विद्यार्थी इन मूल्यों को शब्दों से अधिक आचरण के माध्यम से सीखते हैं।

बच्चों को ईमानदारी सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन जीकर उदाहरण प्रस्तुत करना है।

नागरिकों की भूमिका

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

हर संभव , रिश्वत देने से इनकार करना चाहिए और अनुचित माँग की स्थिति में विधिसम्मत शिकायत-व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए।

हर भुगतान की रसीद माँगना चाहिए। सरकारी योजनाओं और नागरिक अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को अपनी ही संपत्ति की तरह सुरक्षित रखना चाहिए।

“सब लेते हैं”, “बिना पैसे काम नहीं होता”, “यह तो व्यवस्था का हिस्सा है”—जैसी बातें भ्रष्टाचार को सामान्य बनाती हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा।

परिवार : नैतिकता की पहली पाठशाला

ईमानदारी का पहला विद्यालय परिवार है। यदि माता-पिता बच्चे के सामने झूठ बोलकर अनुचित लाभ लेने को चतुराई कहेंगे, तो बच्चा नैतिकता का वास्तविक अर्थ कैसे समझेगा?

परिवार में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि किसी की वस्तु बिना अनुमति न लें, परीक्षा में नकल न करें, झूठे बहाने से लाभ न उठाएँ, कतार तोड़ना गलत है, यातायात नियमों का पालन करें, सरकारी और निजी संपत्ति का अंतर समझें तथा श्रम और ईमानदारी का सम्मान करें।

भ्रष्टाचार का बीज हमेशा कार्यालय में नहीं जन्मता; कई बार वह विचारों में जन्म लेता है। इसलिए परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मीडिया और तकनीक की भूमिका

स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सामाजिक मीडिया ने आम नागरिक को भी अपनी बात रखने का मंच दिया है।

लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अपुष्ट आरोप, अफवाह और सनसनी भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाने से पहले तथ्य-जाँच आवश्यक है।

तकनीक के माध्यम से सरकारी खर्च का सार्वजनिक डैशबोर्ड, ऑनलाइन शिकायत-निगरानी, निविदाओं और अनुबंधों की जानकारी, डिजिटल सेवा-रिकॉर्ड तथा नागरिक प्रतिक्रिया जैसी व्यवस्थाएँ विकसित की जा सकती हैं।

तकनीक भ्रष्टाचार के अवसरों को कम कर सकती है, लेकिन उसके साथ संस्थागत इच्छाशक्ति और मानवीय ईमानदारी भी आवश्यक है।

आर्थिक विकास पर प्रभाव

भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। जब परियोजनाएँ योग्यता और आवश्यकता के बजाय अनुचित लाभ की संभावना से प्रभावित होती हैं, तो लागत बढ़ सकती है और गुणवत्ता घट सकती है।

खराब सड़क, कमजोर पुल, अधूरा भवन या निम्न गुणवत्ता की दवा केवल धन की बर्बादी नहीं, बल्कि जनजीवन के लिए जोखिम भी बन सकती है।

भ्रष्टाचार निवेश, रोजगार, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रभावित कर सकता है। यदि सार्वजनिक धन का प्रत्येक रुपया पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खर्च हो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं पर उसका अधिक प्रभावी उपयोग संभव है।

लोकतंत्र और भ्रष्टाचार

लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। यह जनता की भागीदारी, कानून का शासन, समान अवसर, स्वतंत्र संस्थाओं और सरकार की जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था है।

भ्रष्टाचार इन सभी स्तंभों को प्रभावित कर सकता है। जब धनबल सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करता है, तो समान अवसर का प्रश्न उठता है। जब पद और अवसर अनुचित प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तो योग्यता पर चोट पहुँचती है। जब न्याय में विलंब या पक्षपात की धारणा पैदा होती है, तो नागरिकों का विश्वास कमजोर होता है। और जब आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो जनता की निगरानी क्षमता घटती है।

इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष केवल आर्थिक शुचिता का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बनाए रखने का भी प्रश्न है।

क्या पूर्ण भ्रष्टाचार-मुक्ति संभव है?

कुछ लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार मानव समाज की स्थायी समस्या है और इसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं। यह सही है कि किसी भी समाज में गलत आचरण की संभावना को शून्य करना कठिन है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया जाए।

हमारा लक्ष्य होना चाहिए—

भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनतम करना,

भ्रष्टाचार को कठिन बनाना,

अनियमितताओं को शीघ्र पहचानना,

दोष सिद्ध होने पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना,

ईमानदार आचरण को सम्मान देना और

भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक सहनशीलता को समाप्त करना।

यदि चोरी पूरी तरह समाप्त न हो सके, तो क्या हम ताले लगाना छोड़ देंगे? यदि बीमारी पूरी तरह समाप्त न हो सके, तो क्या उपचार बंद कर देंगे? उसी प्रकार भ्रष्टाचार के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं कि उसके विरुद्ध संघर्ष व्यर्थ है।

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अचानक आदर्श बन जाएगा। इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जहाँ ईमानदारी सम्मानित हो, भ्रष्टाचार जोखिमपूर्ण हो, पारदर्शिता सामान्य हो और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हों।

संकल्प की शक्ति

'संकल्प' शब्द छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति विराट है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक सुधारों तक, इतिहास साक्षी है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयास परिवर्तन की दिशा बदल सकते हैं।

<u>भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के लिए हमारा संकल्प पाँच स्तरों पर होना चाहिए—</u>

व्यक्तिगत संकल्प :
मैं रिश्वत नहीं लूँगा, न दूँगा और न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दूँगा।

पारिवारिक संकल्प :
मैं अपने परिवार में ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता का वातावरण बनाऊँगा।

संस्थागत संकल्प :
मैं जिस संस्था में कार्य करता हूँ, वहाँ पारदर्शिता, समयपालन और जवाबदेही को बढ़ावा दूँगा।

सामाजिक संकल्प :
मैं गलत को देखकर मौन नहीं रहूँगा और विधिसम्मत तरीके से अपनी आवाज उठाऊँगा।

राष्ट्रीय संकल्प :
मैं संविधान, कानून और सार्वजनिक हित को निजी लाभ से ऊपर रखूँगा।

युवाओं की भूमिका

भारत की युवा शक्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पूँजी में से एक है। युवाओं के पास ऊर्जा, तकनीकी क्षमता, प्रश्न करने का साहस और नई व्यवस्था गढ़ने की संभावनाएँ हैं।

उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, डिजिटल माध्यमों का उपयोग जागरूकता के लिए करना चाहिए, फर्जी खबरों से सावधान रहना चाहिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथ्यपूर्ण आवाज उठानी चाहिए और सफलता के लिए शॉर्टकट के बजाय परिश्रम को महत्व देना चाहिए।

जो युवा आज नकल को सामान्य मानता है, उसके लिए भविष्य में अनुचित लाभ को अस्वीकार करना कठिन हो सकता है। इसलिए राष्ट्र का चरित्र बहुत हद तक उसके युवाओं के चरित्र से निर्मित होता है।

धर्म, संस्कृति और नैतिकता

भारत की सांस्कृतिक परंपरा ने सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा और लोकमंगल जैसे जीवन-मूल्यों को महत्व दिया है। "सत्यमेव जयते" केवल राष्ट्रीय आदर्श-वाक्य नहीं, बल्कि सत्य की नैतिक प्रतिष्ठा का उद्घोष है। महात्मा गांधी ने साधन की पवित्रता पर बल दिया, स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण को महत्व दिया और डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता तथा सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया।

यदि हम पूजा करें, लेकिन सार्वजनिक धन में बेईमानी करें; धार्मिक वचन दें, लेकिन किसी गरीब का अधिकार छीनें; राष्ट्रभक्ति के नारे लगाएँ, लेकिन अपने नागरिक कर्तव्यों से बचें—तो हमारी नैतिकता केवल बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाएगी।

सच्ची देशभक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने में भी निहित है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनभागीदारी

सरकार कानून बना सकती है, संस्थाएँ कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब समाज स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजग हो।

गाँव में सामाजिक लेखा-परीक्षा, विद्यालय में पारदर्शी प्रबंधन, पंचायत में खुली बैठक, कार्यालय में नागरिक चार्टर, बाजार में सही तौल और परिवार में नैतिक शिक्षा—ये सभी भ्रष्टाचार-विरोधी जनभागीदारी के रूप हैं।

समाज को धन और प्रतिष्ठा के बीच अंतर समझना होगा। केवल संपन्नता के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्मान देना और उसकी आय के स्रोतों की अनदेखी करना नैतिक वातावरण को कमजोर कर सकता है। ईमानदार श्रम, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी प्रतिष्ठा का आधार बनाना होगा।

एक भावात्मक अपील

आइए, उस माँ को याद करें जो अपने बच्चे को ईमानदार बनने की सीख देती है। उस किसान को याद करें जो खेत में पसीना बहाता है। उस सैनिक को याद करें जो सीमा पर जीवन की बाजी लगाता है। उस शिक्षक को याद करें जो सीमित साधनों में पीढ़ियाँ गढ़ता है। उस मजदूर को याद करें जो अपने श्रम से शहरों और गाँवों का निर्माण करता है।
क्या हमें अधिकार है कि उनके परिश्रम की कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दें?

जब कोई रिश्वत लेता है, तो वह केवल पैसा नहीं लेता; वह किसी बच्चे की किताब, किसी मरीज की दवा, किसी किसान का बीज और किसी गरीब की आशा पर भी चोट करता है।

जब कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो वह अंततः जनता की ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है। जब कोई कर चोरी करता है, तो वह सार्वजनिक संसाधनों में अपने योगदान से बचता है। जब कोई योग्य व्यक्ति का अधिकार छीनता है, तो वह राष्ट्र की प्रतिभा को कमजोर करता है।

इसलिए हमें स्वयं से पूछना होगा—क्या मैं भ्रष्टाचार को रोकने वाला नागरिक हूँ या उसे सहने वाला? क्या मैं अपने बच्चे को केवल सफलता सिखाता हूँ या उसके साथ ईमानदारी भी? क्या मैं नियमों का पालन करता हूँ या सुविधा के लिए उन्हें तोड़ देता हूँ?

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का मार्ग

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए तीन बातों को समझना होगा।

पहली—भ्रष्टाचार केवल दूसरों की समस्या नहीं; यह हमारे अपने व्यवहार से भी जुड़ा है।

दूसरी—ईमानदारी केवल आदर्श वाक्य नहीं; यह रोजमर्रा के छोटे-बड़े निर्णयों में दिखाई देने वाला आचरण है।

तीसरी—व्यवस्था परिवर्तन के साथ मन परिवर्तन भी आवश्यक है। कानून, तकनीक और दंड बाहरी नियंत्रण दे सकते हैं, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए भीतर की नैतिक चेतना जागनी होगी।

पारदर्शी शासन, जवाबदेह प्रशासन, निष्पक्ष न्याय, जिम्मेदार मीडिया, जागरूक नागरिक और नैतिक शिक्षा—इन सबके संयुक्त प्रयास से भारत भ्रष्टाचार की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है।

निष्कर्ष : सपना नहीं, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत कोई कल्पना मात्र नहीं है। यह संविधान की भावना, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और प्रत्येक ईमानदार नागरिक की आकांक्षा से जुड़ा लक्ष्य है। यह तभी संभव होगा, जब हम भ्रष्टाचार को केवल भाषण का विषय न बनाकर अपने जीवन और व्यवस्था का प्रश्न समझेंगे।

हमें संकल्प लेना होगा—

न रिश्वत देंगे, न रिश्वत लेंगे,
न भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, न उसे सामान्य मानेंगे।
सत्य, सेवा और ईमानदारी को अपनाएँगे,
भारत को पारदर्शी, सक्षम और न्यायपूर्ण बनाएँगे।

आइए, परिवर्तन की प्रतीक्षा न करें; स्वयं परिवर्तन की शुरुआत बनें। सरकार से पहले अपने आचरण को बदलें। दूसरों से पहले स्वयं को कटघरे में खड़ा करें। अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझें।

याद रखिए—एक दीपक पूरे अंधकार को एक क्षण में समाप्त नहीं करता, लेकिन वह यह प्रमाण अवश्य देता है कि अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। उसी प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति पूरी व्यवस्था को तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन वह परिवर्तन की पहली रोशनी अवश्य जला सकता है।

हमारा भारत ऐसा भारत बने—

जहाँ काम अधिकार से हो, रिश्वत से नहीं,
जहाँ पद सेवा का माध्यम हो, स्वार्थ का नहीं,
जहाँ योग्यता अवसर का आधार हो, सिफारिश का नहीं,
जहाँ कानून सबके लिए समान हो,
जहाँ ईमानदार व्यक्ति अकेला नहीं, सम्मानित हो।

अतः पूरे विश्वास और दृढ़ स्वर में कहें—

भ्रष्टाचार-मुक्त भारत सपना नहीं, संकल्प से संभव है!

ईमानदार नागरिक—सशक्त भारत!
पारदर्शी शासन—समृद्ध भारत!
भ्रष्टाचार-मुक्त भारत—हम सबका अधिकार और उत्तरदायित्व ।

-पवन मिश्रा

लेखक परिचय

नाम - पवन मिश्रा

दुमका (झारखंड)

पं.क्र. (04/21/05/207665/19)
अन्तरा शब्दशक्ति
www.antrashabdshakti.com
प्रकाशन एवं बहुद्देशीय संस्था

अन्तरा शब्दशक्ति
प्रकाशन

कलम की शक्ति, समाज की दिशा

सम्मान-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

आ............**पवन मिश्रा**............जी

ने हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित "**एक लेख प्रतियोगिता**" में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए **समसामयिक विषय पर अपने विचारों को** प्रभावी एवं सार्थक ढंग से अभिव्यक्त किया।
उनकी साहित्यिक **अभिव्यक्ति** एवं रचनात्मक सहभागिता की सराहना करते हुए **अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन** की ओर से यह **सम्मान-पत्र** सादर प्रदान किया जाता है।

आपकी सृजनशीलता एवं साहित्यिक यात्रा के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ।

हिन्दी विचारों को विस्तार देती है... समाज को जोड़ती है...

हिंदी
हमारी पहचान...
हमारी शक्ति...

प्रीति सुराना
समकित सुराना

अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन
एवं संस्था
डॉ. प्रीति समकित सुराना

शब्द से संवेदन तक... लेखन से परिवर्तन तक...